

करण संख्या :-76/2022

निर्णय दिनांक :-06.01.2023

मनवान:- स्टेट बनाम आदूराम वगैरा


तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 5 एएस-ए (मोटासर)प0स0 श्रीविजयनगर द्वारा दिनांक 27.04.2022 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष ग्राम पंचायत 5 एएस-ए द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 27.04.2022 को बावत् चक 8 एएस से 3 जीडीएसएम तक रास्ता स्वीकृत करने संबंधी प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2016/991 दिनांक 14.12.2022 द्वारा श्री आदूराम पुत्र श्री पन्नाराम जाति जाट साकिन पनियावाली को आवंटित भूमि चक 8 एएस के प0न0 18/12 का किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 के कुल 0.127 हैक्टर एवं चक मोटासर बरानी के खसरा नम्बर 20 का 0.075 खसरा नम्बर 29 का 0.612 हैक्टर कुल 0.687 हैक्टर आराजीराज एवं भागसर बरानी 133 का 0.075 खसरा नम्बर 143/132 का 0.030 हैक्टर कुल 0.105 हैक्टर आराजीराज रकबा को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करने हेतु गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर की रिपोर्ट/प्रस्ताव इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये। बाद नोटिस तामिल सरपंच ग्राम पंचायत 5 एएस (मोटासर), स्टेट पक्ष की ओर से तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर उपस्थित। सरपंच ग्राम पंचायत 5 एएस-ए ने मौके पर चल रहे रास्ते के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जो संलग्न मिसल है। चक 8 एएस के प0न0 18/12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 के कुल 0.127 हैक्टर रकबा में रास्ते स्वीकृत करने के संबंध में आवंटी/खातेदार श्री आदूराम उर्फ लादूराम के वारिसान की तरफ से सहमति पत्र मय शपथ पत्र सरपंच ग्राम पंचायत 5 एएस-ए (मोटासर) द्वारा पेश किया गया (संलग्न मिसल है) तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर द्वारा आराजीराज भूमि चक मोटासर बरानी के खसरा नम्बर 20 का 0.075 खसरा नम्बर 29 का 0.612 हैक्टर कुल 0.687 हैक्टर आराजीराज एवं भागसर बरानी 133 का 0.075 खसरा नम्बर 143/132 का 0.030 हैक्टर कुल 0.105 हैक्टर आराजीराज रकबा में रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति प्रस्तुत की गई।

मेरे द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट/प्रस्ताव, नजरी नकशा, जमाबन्दी, पटवारी रिपोर्ट, सरपंच ग्राम पंचायत 5 एएस-ए द्वारा प्रस्तुत अन्नापति प्रमाण पत्र, श्री आदूराम उर्फ लाधुराम के वारिसान द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया।

अतः तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त चक 8 एएस के प0न0 18/12 का किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 के (प्रत्येक किला नम्बर में 2-2 बिस्वा मुरब्बा लाईन के चिपता) कुल 0.127 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता एवं चक मोटासर बरानी के खसरा नम्बर 20 का 0.075 खसरा नम्बर 29 का 0.612 हैक्टर कुल 0.687 हैक्टर आराजीराज एवं भागसर बरानी 133 का 0.075 खसरा नम्बर 143/132 का 0.030 हैक्टर कुल 0.105 हैक्टर (2 बिस्वा चौडाई) आराजीराज रकबा को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफतर हो। उक्त निर्णय अपीलीय न्यायालय के अधीन रहेगा।

निर्णय आदिनांक 06.01.2023 को सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर